Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **श्रीगंगानगर में सहायक खनिज अभियंता व कनिष्ठ लिपिक को 20 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *17 दिसम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की श्रीगंगानगर इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये आज गुरूवार को सहायक खनिज अभियंता कार्यालय खनिज अभियंता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग श्रीगंगानगर छगन लाल एवं इसी कार्यालय के कनिष्ठ लिपिक हरिनिवास को 20 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की श्रीगंगानगर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी भूमि सुधार हेतु जिप्सम परमिट जारी करने की एवज में आरोपी सहायक खनिज अभियंता छगन लाल द्वारा 50 हजार रूपये की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर **एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन.** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन करवाया जाकर आज श्रीगंगानगर में एसीबी के **उप पुलिस अधीक्षक श्री वेदप्रकाश लखोटिया** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये **छगन लाल** पुत्र श्री मानाराम नि0 मकान नं. 55 पीली टंकी के पास भगत की कोठी जोधपुर हाल **सहायक खनिज अभियंता कार्यालय खनिज अभियंता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग श्रीगंगानगर** तथा **इसी कार्यालय के कनिष्ट लिपिक हरिनिवास** पुत्र श्री रामनिवास नि0 गांव सुन्दरा जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा को 20 **हजार रूपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों पर एसीबी टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वत लेना व देना अपराध की श्रेणी में आता है। **रिश्वत मांगने की शिकायत देने वाले की जानकारी गोपनीय रखी जाती है तथा कार्यवाही के पश्चात् उनके वैध कार्य में एसीबी द्वारा मदद भी राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप की जाती है।**

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064*** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834*** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।